ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00055

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 28/2018

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. जयकिशन चांडक पुत्र गोरधनदास चांडक, जाति माहेश्वरी, निवासी आदर्श नगर, वार्ड नम्बर 8, घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
फर्म– मै0 चांडक एजेंसी, मेन मार्केट, घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 07.01.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 31.05.2017 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्था।न जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.05.2017 को दोपहर 3.15 पी.एम. पर फर्म मै. चांडक एजेंसी, मेन मार्केट, घडसाना जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर श्री जयकिशन चांडक पुत्र गोरधनदास चांडक, जाति माहेश्वरी, निवासी आदर्श नगर, वार्ड नम्बर 8, घडसाना मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** आदि बनाकर बेच रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में अलमारी की रैक में बिकी हेतु मौजूद **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat) 12X750 M.L.** पैक्ड बोतलों मे से जांच हेतु **4X750 M.L.** पैक्ड बोतले **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** खरीदी। **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** की कीमत 280/– रूपये अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल पसर कोड एवं सीरियल नं. दिनांक , स्थान खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता , गवाहों के हस्ताक्षर कराए एवं स्वयं खाद्य सुरक्ष्ज्ञा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किए। तत्पश्चात् खरीदशुदा **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose**

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

sharbat) का चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गौंद से चिपकाया। चारो नमूना जारों को ढक्कन से एयरटाईट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षयुक्त पेपर स्लिप के–791 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता जयकिशन चांडक ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1295/एक्ट/2017/1362 दिनांक 14.06.2017 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–791 **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat) अमानक स्तर** (Misbranded Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री जयकिशन चांडक फर्म मै0 चांडक एजेंसी, मेन मार्केट, घडसाना जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 09.03.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** का नमूना जांच हेतु लिया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड पाया गया है। मैने मेरी ओर से इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था और पैंकिग अवस्था में ही बेचा था। भूलवंश मैं बिल नहीं ले पायाा था, भविष्य में इस प्रकार की गलती दुबारा नहीं करूंगा एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों की पालना करूंगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इस प्रकरण में मै मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, कृप्या लोक अदोलत की भावना से मेरी प्रथम गलती मानते हुए प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाते हुए प्रकरण को समाप्त कराने की कृपा करावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** सैम्पल के–791 जांच रिपोर्ट संख्या :– एलएस/1295/एक्ट/2017/1362 दिनांक 14.06.2017 द्वारा **मिस ब्राण्ड** होना पाया गया है। लिये गये सैम्पल में अपमिश्रण होना नहीं पाया गया है और न ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उप धारा (2)(ii) तथा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** का नमूना जांच हेतु लिया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार मिस ब्राण्ड पाया गया है। मैने मेरी ओर से इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था और पैंकिग अवस्था में ही बेचा था। भूलवंश मैं बिल नहीं ले पायाा था, भविष्य में इस प्रकार की गलती दुबारा नहीं करूंगा एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों की

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

पालना करूंगा। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि इस प्रकरण में मै मेरी गलती स्वीकार करता हूँ, कृप्या लोक अदोलत की भावना से मेरी प्रथम गलती मानते हुए प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाते हुए प्रकरण को समाप्त कराने की कृपा करावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** Sample of " **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** " bearing Code No. and Sr. No. K-791 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of FSS Act. 2006. जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री जयकिशन जांडक पुत्र गोरधनदास चांडक–फर्म मै0 चांडक एजेंसी, मेन मार्केट, घडसाना जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री जयकिशन जांडक पुत्र गोरधनदास चांडक को under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 के अन्तर्गत राशि रूपये 3,000–00 (अखरे रूपये तीन हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **synathetic syrup (Adhikar Brand) (Rose sharbat)** को बेचने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का ध्यान रखें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

07/01/19

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर